

**न्यायालय— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के
अतिरिक्त न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय चंदेरी, अशोकनगर (म.प्र.)
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन स्थानीय
क्षेत्राधिकारिता में उद्भूत आपराधिक प्रकरणों के विचारण हेतु सशक्त)
(पीठासीन अधिकारी –सैफी दाऊदी)**

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक— 62 / 2017

संस्थित दिनांक— 26.10.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

— अभियोजन

—विरुद्ध—

सुखलाल पुत्र रुमाल सिंह आयु 20 वर्ष,
जाति लोधी, निवासी नयाखेड़ा थाना
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

— अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	:- श्री मुकेश सिंह राजपूत अपर लोक अभियोजक ।
अभियुक्त द्वारा	:- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता ।

आदेश

(अन्तर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(दिनांक को घोषित)

- 1- भा.दं.वि. की धारा 454, धारा 7 सह पठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्पतः धारा 354, भादवि के अंतर्गत अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 03.10.17 को 12:00 बजे के लगभग फरियादी के घर ग्राम नयाखेड़ा थाना चंदेरी के अंतर्गत बालिका/व्यथित जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होकर वह अवयस्क थी, के निवास स्थल में कारावास से दंडनीय अपराध कारित के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार किया तथा अवयस्क बालिका का हाथ व बाल बुरी नियत से पकड़कर उस पर लैंगिक हमला कारित किया विकल्पतः बुरी नियत से उसका हाथ व बाल पकड़कर उसकी स्त्रियोचित भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ।
- 2- उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र के आधार पर अभियुक्त को धारा 506 पैरा-2 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है ।
- 3- अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, व्यथित/बालिका “ जिसके नाम का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रमांक 6 में वर्णित है” ने हमराह

अपने पिता ज्ञान सिंह के साथ उपस्थित पुलिस थाना चंदेरी पर होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसकी मम्मी सुबह 9 बजे मजदूरी करने पिपरौद गयी थी तथा पापा पास के खेत पर गये थे वह और उसका छोटा भाई रूपेश घर पर ही थे दिन के लगभग 12 बजे गांव का लड़का सुखराम पुत्र रूमाल सिंह लोधी उसके घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ और बाल पकड़ लिया तभी उसके पापा आ गये उसके पापा को देखकर भाग गया। भागते भागते कहने लगा यदि थाने पर रिपोर्ट करने गयी तो जान से खत्म कर दूंगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अंकित किये जाने के पश्चात् व्यथित/बालिका की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 अंकित कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर व व्यथित की आयु से संबंधित शासकीय प्राथमिक विद्यालय नयाखेड़ा, चंदेरी द्वारा प्रदत्त कक्षा पांचवी की अंकसूची अभिलेख संलग्न कर व्यथित तथा अन्य साक्षीगण के कथन अभिलिखित कर व अनुसंधान की अन्य कार्यवाहियां संपन्न करते हुए अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध धारा 454, 354, 506 पैरा 2 भादवि सह पठित धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 454, धारा 7 सह पठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्पतः धारा 354, 506 पैरा-2 भादवि के अपराध का आरोप विरचित किया गया, जिसे अभियुक्त ने अस्वीकार कर विचारण का दावा किया।

5- न्यायालय के समक्ष अभियोगी तथा उसके संरक्षक माता पिता के कथन से अभियुक्त के विरुद्ध उसकी दोषसिद्धि प्रमाणन हेतु कोई प्रबल साक्ष्य मुख्य परीक्षण में तथा उनसे पूछे गये सूचक प्रश्नों के उत्तर में प्रकट नहीं किये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति अभिलेख पर प्रकट नहीं हुई, जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त से लिया जाना आवश्यक हो। अतः अभियुक्त परीक्षण संपन्न नहीं किया गया।

6- इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष यह अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :-

अवधारणीय प्रश्न

- (1) क्या अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर अवयस्क व्यथित के निवास स्थल में प्रवेश किया ?
- (2) क्या अभियुक्त न प्रश्नगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर अवयस्क व्यथित का हाथ एवं बाल लैंगिक आशय से पकड़कर उस पर लैंगिक हमला कारित किया ?

विकल्पतः

क्या अभियुक्त ने अभियोक्त्री की स्त्रियोचित लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

(3) यदि अवधार्य प्रश्न प्रमाणन हो तो दोषसिद्धि एवं दंडादेश ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 :-

7- अवधार्य प्रश्न क्रमांक 4 को छोड़कर पूर्ववर्ती अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 तथ्यों से परस्पर संबद्ध होने से एवं एक ही तथ्य के विशिष्टतः किसी विशिष्ट विधि के लागू होने अथवा लागू नहीं होने के तथ्य से संबद्ध होने से और साक्ष्य मूल्यांकन में सुविधा के दृष्टिकोण से एवं साक्ष्य का आकार नियंत्रित करने के प्रयोजन से अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण इस प्रक्रम पर किया जा रहा है।

8- अभियोजन साक्षीगण विनीता अ.सा.1, ज्ञानसिंह अ.सा.2 तथा रूपेश अ.सा.3 का मुख्य परीक्षण का अभिकथन एवं पूछे गये सूचक प्रश्नों के उत्तर से अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों के संबंध में ऐसा कोई अभिकथन अभिलेख पर प्रकट नहीं किया गया है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना दिनांक को अभियोगी/व्यथित के निवास स्थल में कारावास से दंडनीय अपराध के आशय से प्रवेश कर कोई अतिचार या गृह भेदन कारित किया है। ऐसी स्थिति में जहां कि अभियोजन प्रकरण के समर्थन में स्वयं अभियोगी तथा उसके पिता का कोई अभिकथन नहीं है, वहां अभियुक्त के विरुद्ध धारा 454 भादवि के आरोप के प्रमाणन होने विषयक कोई स्थिति भी अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। अभियुक्त को धारा 454 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9- अब यह अवधार्य किया जाये कि क्या विशिष्ट अधिनियम के प्रावधानातर्गत दंडनीय लैंगिक हमला अभियुक्त द्वारा अभियोगी के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया गया है अथवा क्या अभियुक्त ने अभियोगी की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर भादवि के सामान्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है ?

10- उपरिलिखित परिस्थितियों के अवधारण के संबंध में यह अवधारण किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रश्नगत घटना दिनांक को व्यथित “जिसके संबंध में अपराध कारित किये जाने विषयक अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण उद्भूत हुआ है” 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका रही है ? उक्त तथ्य के संबंध में अभियोजन की ओर से व्यथित की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जो कि शासकीय विद्यालय अर्थात् शासकीय प्राथमिक विद्यालय नयाखेड़ा मोहनपुर विकासखंड, चंदेरी के प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदत्त किया गया है, उसमें व्यथित की जन्मतिथि दिनांक 15.06.01 अंकित की गयी है।

11- व्यथित के मौखिक कथन तथा उसकी जन्मतिथि के संबंध में प्रदत्त

विद्यालय के प्रमाण पत्र से व्यथित की आयु घटना के समय 16 वर्ष थी और स्वयं व्यथित भी अपने धारा 164 दंप्रसं के अधीन अंकित कराये गये कथन में उसी आयु 16 वर्ष होना स्वीकार करती है।

12- प्रश्नगत घटना दिनांक 03.10.17 को कारित हुई घटना है तब स्पष्ट रूपेण व्यथित घटना दिनांक को 16 वर्ष की अवयस्क बालिका होना उक्त उपरिलिखित निष्कर्षाधीन बिना किसी संशय के प्रमाणन है और जहां कि अभियोगी प्रश्नगत घटना के समय 16 वर्ष की अवयस्क बालिका होना प्रकट है वहां अभियुक्त द्वारा कारित अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन सामान्य विधि से शासित होने वाला अपराध नहीं होकर विशिष्ट विधि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान से शासित होने वाला अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध विकल्पतः विरचित आरोप अंतर्गत **धारा 354 भादवि आकर्षित नहीं होने एवं प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

13- अब यह अवधार्य किया जाये कि, क्या अभियुक्त द्वारा व्यथित अवयस्क का हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर लैंगिक हमला कारित किया है।

14- पूर्ववर्ती निष्कर्षाधीन व्यथित का 16 वर्ष की अवस्क बालिका होना बिना किसी संशय के प्रमाणित है और जहां तक अभियुक्त द्वारा उस पर लैंगिक हमला कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है? स्वयं व्यथित अ.सा.1 के न्यायालयीन कथन तथा उसके वैध संरक्षक अर्थात् उसके पिता ज्ञान सिंह अ.सा.2 एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अर्थात् व्यथित का छोटा भाई रूपेश अ.सा.3 के मुख्य परीक्षण के अभिकथन तथा सूचक प्रश्नों के उत्तर इस तथ्य को प्रमाणन नहीं करते हैं कि अभियुक्त ने अवयस्क का हाथ एवं बाल लैंगिक आशय से पकड़कर उस पर लैंगिक हमला कारित किया था।

15- स्वयं व्यथित अ.सा.1 भी अपने मुख्य परीक्षण में अपने अभियुक्त का उसके घर आकर उसके भाई को बुलाना तथा व्यथित के पिता द्वारा देखे जाने पर तथा पूछे जाने पर रूपेश को बुलाने आना अभिकथित करती है और सूचक प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य का कोई अभिकथन नहीं करती, कि अभियुक्त ने बुरी नियत से उसका हाथ तथा बाल पकड़ लिये थे। तब ऐसी स्थिति में व्यथित पर लैंगिक हमला अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना प्रमाणित किये जाने हेतु अभिलेख पर कोई विश्वसनीय, दृढ़, युक्तियुक्त साक्ष्य विद्यमान नहीं होकर अभियुक्त द्वारा व्यथित पर लैंगिक हमला कारित किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किये जाने की साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। अस्तु अभियुक्त को **धारा 7 सह पठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है।**

अवधार्य प्रश्न क्रमांक 3 :-

16- जहां अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप प्रमाणित नहीं है, वहां अवधार्य

प्रश्न क्रमांक 3 के अधीन कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

17- समेकित निष्कर्षानुसार अभियुक्त सुखलाल पुत्र रूमाल सिंह आयु 20 वर्ष, जाति लोधी, निवासी नयाखेड़ा थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) को धारा 454 भादवि. तथा धारा 7 सह पठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्पतः धारा 354 भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18- अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं अभियुक्त का बंधपत्र भारमुक्त किया जाता है।

19- प्रकरण में जप्तशुदा कोई मुद्देमाल नहीं है।

निर्णय घोषित, हस्ताक्षरित,

मेरे आलेख में टंकित किया गया।

व दिनांकित किया गया

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक— 20.03.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)